इंडियन पोर्ट, रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
धोखाधड़ी प्रतिबन्ध एवं अभिज्ञान नीति
FRAUD PREVENTION & DETECTION POLICY

1. प्रस्तावना PREAMBLE

कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी पर प्रतिबन्ध और अभिज्ञान/पहचान के नियंत्रण के विकास की सुविधा के लिए कॉर्पोरेट नीति स्थापित किया गया है जिसके द्वारा धोखाधड़ी की पहचान और उसके प्रतिबन्ध में सहायक हो | कंपनी का यह उद्देश्य है कि अनुकूल संगठनात्मक व्यवहार और विकास नियंत्रण को दिशा निर्देशों द्वारा बढ़ावा देना तथा जांच करने की जिम्मेदारी प्रदान करना है |

आगे कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों को कंपनी की धोखाधड़ी प्रतिबंधन नीति पर अपनी टिप्पणी कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ़ इंडिया (C&AG) को दी जानेवाली रिपोर्ट जो कंपनी के वार्षिक लेखा कम्पनीज एक्ट 2013 (सेक्शन 139) के अनुपालन में देनी होगी |

धोखाधड़ी प्रतिबन्ध एवं अभिज्ञान नीति (फ्रॉड प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन पालिसी) को कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सर्वोत्तम प्रथाओं की देखरेख करने के लिए को बनाया गया है |

2. नीति उद्देश्य POLICY OBJECTIVES

'धोखाधड़ी प्रतिबन्ध नीति' को धोखाधड़ी की पहचान कोई धोखाधड़ी जिसकी पहचान हो गई है या कोई संदिग्ध और सरल/सच्चे सौदे धोखाधड़ी वाले हैं उन पर प्रतिबन्ध की प्रणाली प्रदान करने हेतु बनाया गया है | नीति निम्नलिखित को सुनिश्चितता प्रदान करेगी :

i. यह सुनिश्चित करना की प्रबंधन को धोखाधड़ी की पहचान करने एवं धोखाधड़ी रोकने और/अथवा धोखाधड़ी जब वह हो रही हो की पहचान करने की अपनी जिम्मेदारियों एवं प्रतिबन्ध लगाने के बारे में पता है तथा वह प्रक्रिया को स्थापित करेगी |

ii. प्रबंधन के साथ साथ सभी कर्मचारियों एवं जो लोग कंपनी से व्यवहार रखते हैं को स्पष्ट दिशा निर्देश देना कि किसी भी धोखाधड़ीवाली गतिविधि में शामिल होना अनिष्टकारक है एवं जहाँ भी संदिग्ध धोखाधड़ीवाली गतिविधि का पता चलेगा कार्रवाई की जाएगी |

iii. सब-कॉन्ट्रैक्टर्स/सप्लायर्स/कंसल्टेंसी के लिए बोली दाता (बिडर्स) यदि गलत दस्तावेज़ प्रस्तुत करते हैं या रद्द करते हैं तो नीति के तहत उनके साथ निपटा जाएगा |

iv. धोखाधड़ी की गतिविधियों की जांच करना |

v. यह आश्वासन देना की सभी संशयित धोखाधड़ीवाली गतिविधियों की पूर्णतः जांच होगी (शिकायतकर्ता की पहचान का सत्यापन होने पर) | वास्तविक मुखबिर होने पर उसे किसी भी प्रकार के प्रभाव या उत्पीड़न के खिलाफ संरक्षण देना |

vi. यदि कोई मुखबिर किसी कर्मचारी को परेशान करने के लिए या अनुचित समस्या उत्पन्न करने के लिए गलत सूचना देता है, तो ऐसे कर्मचारी को आवश्यक संरक्षण देकर उसका मनोबल बढ़ाना और मुखबिर के खिलाफ गलत सूचना देने के लिए लागू आचरण नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करना एवं बाहरी लोगों के लिए (कर्मचारियों के अलावा) योग्य अनुशासनात्मक या कानूनी कार्रवाई करना |

3. नीति का क्षेत्र SCOPE OF POLICY

यह नीति किसी भी धोखाधड़ी या संशयित धोखाधड़ी जिसमें कंपनी का कर्मचारी शामिल हो (सभी कर्मचारी, पूर्ण कालिक, अंश कालिक जिसमें कंपनी प्रबंधन या कर्मचारी जिन्हें तदर्थ (अडहॉक)/अस्थायी/अनुबंध आधार पर लिया गया हो), साथ ही साथ विक्रेताओं, सप्लायरों, कॉन्ट्रैक्टर्स, कंसल्टेंट्स, सर्विस प्रोवाइडर एवं बाह्य एजेंसियों जो कंपनी से किसी भी प्रकार का व्यवसाय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करती हों जिसमें गैर कानूनी/अवैध रूप से किये गए व्यवसाय भी शामिल हैं जो कंपनी के स्वीकृत सिद्धांत या प्रक्रिया से बाहर जाकर कर रहे हों पर लागू होगी |

4. धोखाधड़ी की व्याख्या DEFINITION OF FRAUD

'धोखाधड़ी' अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर किया गया कृत्य, छल, दमन, धोखे या किसी बेईमानी, या किसी और प्रकार का अवैध कृत्य जिससे गलत तरीके से स्वयं को या किसी दूसरे व्यक्ति(यों) को फायदा पहुंचाना या गलत तरीके से नुकसान पहुंचाना शामिल है | कई बार ऐसे कृत्य छल से/भटकाकर दूसरों को प्रतिबंधित द्वार तक ले जाने के लिए किए जाते हैं जिससे सच्चाई और भौतक तत्वों पर आधारित वास्तविक कार्य न हो या वास्तविक निर्णय न ले सकें |

5. धोखाधड़ी कार्य के घटक ACTIONS CONSTITUTING FRAUD

जबकि धोखाधड़ी की गतिविधियों का बहुत विशाल श्रंखला क्षेत्र हो सकता है, पर निम्न कुछ कार्य हैं जो धोखाधड़ी के घटक हैं | नीचे दी गई सूची केवल उदाहरणात्मक है न कि विस्तृत –

i. जालसाजी या कंपनी के किसी दस्तावेज या लेखा में फेरबदल/तब्दीली |
ii. जालसाजी या चेक, बैंक ड्राफ्ट या वित्तीय दस्तावेज/यंत्र (इंस्ट्रूमेंट) में फेरबदल/तब्दीली |
iii. धन, सिक्योरिटीज, सप्लाइज, एवं दूसरी संपत्तियों का धोखे/छल इत्यादि द्वारा गबन |
iv. झूठे रिकॉर्ड जैसे कि पे रोल बनाना, फाइलों से दस्तावेज़ निकालना/हटाना और/अथवा नकली/जाली नोट/टिप्पणी इत्यादि प्रस्थापित करना |
v. जानबूझकर तथ्य/छल को छुपाना जिसके परिणामस्वरूप नियुक्ति, स्थान नियोजन, रिपोर्ट प्रस्तुत करने, टेंडर समिति की सिफारिश इत्यादि के मामलों में किसी एक को गलत लाभ और किसी और को गलत हानि/ नुकसान हो |
vi. टेंडरर्स/वेंडर्स/सप्लायर्स/कंसल्टेंट्स द्वारा अनुबंध का प्रस्ताव देते समय गलत/जाली दस्तावेज़ प्रस्तुत करना |
vii. कंपनी के धन का व्यक्तिगत कारणों के लिए उपयोग |
viii. माल जो सप्लाई नहीं किया गया है या सेवा जो प्रदान नहीं की गई है को अधिकृत करना या भुगतान की प्राप्ति को अधिकृत करना |
ix. कंपनी के सिद्धांत, प्रक्रियाओं, प्रथाओं से परे किसी भी कार्य करने की जबरदस्ती करना जिसके कारण व्यापार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली सामान्य गतिविधियों में व्यवधान उत्पन्न हो और परिणामस्वरूप मूल्यांकन/निर्णय का उद्देश्य पूरा न हो |

6. धोखाधड़ी रिपोर्ट करना/संज्ञान में लाना REPORTING OF FRAUD

i. कोई भी कर्मचारी (पूर्णकालिक या कर्मचारी जिसकी नियुक्ति एडहॉक/अस्थायी/अनुबंध आधार पर) वेंडर्स के प्रतिनिधि, सप्लायर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, कंसल्टेंट्स, सर्विस प्रोवाइडर या कोई दूसरी एजेंसी(यां) जो कंपनी से किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर रहे हों को धोखाधड़ी या संशयित धोखाधड़ी या कोई और धोखे/छल की गतिविधि का जब भी पता चलता है उसकी सूचना तुरंत दे | ऐसी रिपोर्टिंग नामित नोडल अधिकारी को कॉर्पोरेट ऑफिस में करनी होगी | साधारणतः धोखाधड़ी की रिपोर्ट लिखित रूप में करनी होगी | यदि रिपोर्ट करने वाला लिखित विवरण देने का इच्छुक नहीं है परन्तु वह इस अवस्था में है कि वह धोखाधड़ी/संशयित धोखाधड़ी की अनुक्रमिक और विशिष्ठ लेनदेन की जानकारी देता है तो सूचना प्राप्त करनेवाला/ नोडल अधिकारी दी गई सूचना को रिकॉर्ड करेगा और साथ ही उस अधिकारी/कर्मचारी/दूसरे व्यक्ति जिसने घटना की रिपोर्ट दी है की पहचान की जानकारी भी रखेगा | रिपोर्ट को गोपनीयता से बनाना एवं जिसके खिलाफ रिपोर्ट की जा रही है और रिपोर्ट करनेवाले की सूचना को भी गोपनीय रखना होगा तथा ऐसा मामला किसी भी परिस्थिति में किसी के भी साथ साझा नहीं किया जाएगा |

ii. सभी धोखाधड़ी अथवा संशयित धोखाधड़ी की रिपोर्टों का बहुत ही शीघ्रता से नामित नोडल अधिकारी द्वारा समन्वयन और जांच होनी चाहिए जिसके न कर पाने पर वह अपना अस्तित्व खो सकती है और कंपनी को नुकसान एवं क्षति हो सकती है |

iii. अधिकारी जिसे संशयित धोखाधड़ी की जानकारी मिल रही है/नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की सभी सम्बद्ध रिकॉर्ड एवं दूसरे साक्ष्यों को तुरंत कब्ज़े में लिया जाय जिससे धोखाधड़ी के संशयित अपराधी द्वारा अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा उसके प्रभाव/बहकावे में आकर उनमें किसी प्रकार की छेड़छाड़, तबाही न हो सके |

7. आधार रहित/दुर्भावपूर्ण दोषारोपण BASELESS/MALICIOUS ALLEGATIONS

i. यदि नोडल अधिकारी को यह ज्ञात होता है की शिकायत का कोई आधार नहीं है या वह नीति के अंतर्गत आगे बढ़ाने योग्य नहीं है तो उसे उसी स्तर पर निरस्त कर, निर्णय को रिकॉर्ड/दस्तावेज़ित किया जाए |

ii. दुर्भावनापूर्ण दोषारोपण करने पर शिकायतकर्ता/रिपोर्टर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई में परिणामित हो सकती है |

8. जांच प्रक्रिया INVESTIGATION PROCEDURE

i. प्रबंध निदेशक द्वारा नोडल अधिकारी को कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय में नामित किया जाएगा |
ii. नोडल अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक जांच में यदि सिद्ध होता है की धोखाधड़ी की गतिविधि हुई है, तो "नोडल अधिकारी" धोखाधड़ी/संशयित धोखाधड़ी की जानकारी मुख्य सतर्कता अधिकारी/उप मुख्य सतर्कता अधिकारी अगली उचित जांच एवं योग्य कार्रवाई के लिए देंगे |
iii. धोखाधड़ी के मामले में यह सामग्री (इनपुट), ख़ुफ़िया सूचना एवं जानकारी के अलावा होगी जिसकी जांच सतर्कता विभाग द्वारा अपने रोज़मर्रा के कामकाज में की जा रही है |
iv. जांच पूर्ण होने पर उपयुक्त एवं योग्य कार्रवाई होगी जिसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई, दीवानी या आपराधिक कार्रवाई, व्यापार पर प्रतिबन्ध, काली सूची में डालना शामिल है वेंडर / सप्लायर / या मामले को बंद करने की यदि धोखाधड़ी साबित नहीं हुई है इत्यादि, जो की जांच के निर्णय पर आधारित होगी |
v. सतर्कता विभाग 'नोडल अधिकारी' को अपनी जांच के निर्णय से अवगत कराएगा |

9. धोखाधड़ी रोकथाम/प्रतिबंधन की जिम्मेदारी RESPONSIBILITY FOR FRAUD PREVENTION

i. प्रत्येक कर्मचारी (पूर्णकालिक, अंशकालिक, तदर्थ (एडहॉक), अस्थायी, अनुबंध पर, ट्रेनी या परिवीक्षा पर), वेंडर्स, सप्लायर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, कंसल्टेंट्स, सर्विस प्रोवाइडर्स या दूसरी एजेंसी(यों) के प्रतिनिधि जो कंपनी से किसी भी प्रकार का व्यवसाय करते हैं उनसे यह अपेक्षित है तथा उनकी यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी उनके अधीन कार्यक्षेत्र में न हो | जैसे ही उन्हें पता चलता है की धोखाधड़ी / संशयित धोखाधड़ी हुई है या होने वाली है तो प्रक्रिया के अनुसार वे सम्बंधित प्राधिकारी को तुरंत अवगत कराएं |

ii. सभी नियंत्रक अधिकारियों/परियोजना प्रमुख/महाप्रबंधकों को धोखाधड़ी होने एवं रोकने तथा कम्पनी की धोखाधड़ी की रोकथाम की नीति के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदारी साझा करनी होगी | यह नियंत्रक अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी की उनके नियंत्रण क्षेत्र में तंत्र कार्य कर रहा है, जो -

a) सभी कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के अनुचित कार्यों से अवगत कराना जो उनके क्षेत्र में हो सकते हैं |
b) कर्मचारियों को धोखाधड़ी का पता लगाने एवं रोकथाम के लिए शिक्षित करना |
c) ऐसी संस्कृति तैयार करना जहाँ कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाए जिससे वे धोखाधड़ी या संशयित धोखाधड़ी जो उनके ज्ञान में आती है को बिना किसी उत्पीड़न के भय के रिपोर्ट कर सकें |
d) कंपनी की मौजूदा नीति के तहत कर्मचारियों को नैतिक सिद्धांतों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना |

iii. अनुबंध की सामान्य शर्तों में उचित/योग्य संशोधन करना जहाँ सभी बिडर्स/सर्विस प्रोवाइडर्स/वेंडर्स/कंसल्टेंट्स इत्यादि को कंपनी की धोखाधड़ी रोकथाम/प्रतिबंधन नीति का पालन करना आवश्यक होगा | ये शर्तें दोनों बिड जमा करते समय एवं अनुबंध के निष्पादन के समझौते के दस्तावेजों का हिस्सा होंगी |

10. नीति का पालन एवं समीक्षा ADMINISTRATION & REVIEW OF POLICY

कंपनी के प्रबंध निदेशक, नीति के पालन, व्याख्या, इस्तेमाल एवं सुधार के लिए जिम्मेदार होंगे |

11. संशोधन AMENDMENT

इस नीति में पूर्ण अथवा आंशिक बदलाव या संशोधन किसी भी समय कंपनी के प्रबंध निदेशक द्वारा इस कंपनी के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स को इत्तला दे कर, किया जा सकता है |

1. वेबसाईट पर दर्शाना PLACING ON WEBSITE

नीति एवं उसमें किये गए संशोधनों को कंपनी की वेबसाईट पर दर्शाया जायेगा |